

30TH MARCH THE HINDU A STOP SIGN (GS PAPER-III)

संदर्भ – अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसके अनुसार भारत में कार्बन उत्सर्जन 2018 में 4.8% बढ़ा है।

- कार्बन उत्सर्जन की समस्या के लिए भारत ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र वृहद मात्रा में कार्बन-उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्सर्जन बढ़ा है, लेकिन यह प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत से 40% कम है।
- जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा-उत्सर्जन पर सभी राष्ट्रों की समान जिम्मेदारी होनी चाहिए तथा विकसित व अधिक कार्बन-उत्सर्जन करने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए।
- वैश्विक स्तर पर 2018 में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में 7% की वृद्धि हुई है लेकिन यह मांग के अनुसार अपर्याप्त है। चीन तथा यूरोप ने सोलर तथा पवन ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा बचत में योगदान दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक राष्ट्र होने के नाते भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए।

कार्बन फुटप्रिंट – इससे तात्पर्य किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जीवाश्म ईंधन, कच्चे तेल और कोयले के जलने से होता है।

IPCC रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन पर IPCC संयुक्त राष्ट्र अंतरसरकारी पैनल ने ग्लोबल वार्मिंग पर अपनी विशेष रिपोर्ट (2018) दी है। इसके अनुसार यदि वैश्विक ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है तो वैश्विक जलवायु में काफी बदलाव आ जाएगा। इससे विश्व की जनसंख्या व पारिस्थितिकी तंत्र पर हीट वेब का नकारात्मक प्रभाव, ग्लेशियर पिघलने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में कमी, अनियमित वर्षा तथा कई जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट पैदा होगा।

IPCC – यह जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना विश्व मौसम संगठन द्वारा 1988 में की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के जिनेवा में है।

वैश्विक तापन से तात्पर्य – ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह व वायुमंडल के तापमान में वृद्धि है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य शब्दों में इसे मुख्य रूप से वायुमण्डल में अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड की समस्या भी कह सकते हैं जो एक परत के रूप में पृथ्वी को गर्म करती है। पृथ्वी के वातावरण में लगातार हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौते -

- वर्ष 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व का पहला 'अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन' आयोजित किया गया था। इसे स्टॉकहोम घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
- जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त

राष्ट्र संघ द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का गठन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। UNFCCC के सदस्य देशों द्वारा किये जा रहे सम्मेलन को कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) कहा जाता है। 2018 में COP-24 पोलैंड में आयोजित किया गया।

- ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए निर्णायक कदम 1997 में क्योटो प्रोटोकाल था।
- 2015 में पेरिस समझौता हुआ जिसमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर सहमति बनी थी।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय -

- हरित परिवहन, अपडेटेड बिल्डिंग कोड्स, LED का उपयोग, ऊर्जा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग शामिल हैं। ये सभी उपाय पेरिस समझौते के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में 33-35% तक की कटौती के लिए सहायक हैं।
- सार्वजनिक ऑफिसों व घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं।
- कोयला बिजली संयंत्रों को साफ कराया जाए।
- वाहन प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है इसे कम करने हेतु सार्वजनिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों या अन्य पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाना चाहिए।
- जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग द्वारा जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया।
 2. पेरिस समझौता बाध्यकारी समझौता है इसकी सिफारिशें 2020 से लागू की जायेगी।
 3. 24वां कांफ्रेंस ऑफ द पार्टीज, पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए की गई। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 2 और 3
(d) 1 और 3

उत्तर (d)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न-“मनुष्य विकास की दौड़ में इतना स्वार्थी हो चुका है कि पृथ्वी के सेहत को निरंतर हानि पहुँचा रहा है। इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है।” जलवायु परिवर्तन की परिघटना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें।

(A Blow against article 370)

संदर्भ-

- जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित अनुच्छेद-370 कि प्रासंगिकता पर कुछ समय से चर्चा हो रही हैं।
- राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1 मार्च, 2019 को जम्मू कश्मीर में 77वें और 103वें संविधान संशोधन को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की सहमति के साथ लागू किया गया।
- ये राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित हैं। हालांकि इसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अनुच्छेद, 370 की तरह अन्य संवैधानिक प्रावधान जम्मू-कश्मीर में, स्वतः लागू नहीं होते।
- संविधान संशोधन में किए जाने वाले प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के अनुसार राज्य के लिए संवैधानिक प्रावधानों और संशोधनों के विस्तार हेतु राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किया जाता है जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- जहां विषय-वस्तु रक्षा, बाहरी मामलों और संचार से संबंधित नहीं है, ऐसे मामलों में राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है, अन्य मामलों में केवल परामर्श की आवश्यकता होती है।
- सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू-कश्मीर में विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया, लेकिन इन प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार ने अपनी सहमति दी तथा इसकी पुष्टि राज्य संविधान सभा द्वारा की गई थी।
- 1954 से अभी तक 40 बार राष्ट्रपति आदेश पारित करके जम्मू कश्मीर में प्रावधानों को विस्तारित किया गया।
- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356) संबंधित प्रावधान जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के पूर्व कम से कम 6 माह तक राज्यपाल शासन जरूर होना चाहिए। यह प्रावधान सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए है।
- राज्यपाल शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल स्वतंत्र रूप से काम करते हैं ना कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में।
- जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 103वां संविधान संशोधन लागू किया गया है। राष्ट्रपति आदेश से संबंधित वर्तमान मामलों में अनुच्छेद-370 का उल्लंघन किया गया है। क्योंकि राज्यपाल शासन के दौरान राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्र की अपेक्षा के अनुरूप कार्य करें।

अनुच्छेद-370

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 1947 में भारत-पाकिस्तान के विभाजन के वक्त जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय के लिए सहमति जताई थी। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 का प्रावधान किया गया।
- इसके अंतर्गत संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन राज्य के लिए अलग संविधान बनाने की मांग की गई।
- 1951 में राज्य को संविधान सभा को अलग से बुलाने की अनुमति दी गई तथा 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।
- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद-356 लागू नहीं होता इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग झण्डा होता है तथा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों

का होता है।

- जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 35A में 'स्थायी निवासी' का प्रावधान है यह अनुच्छेद-370 का हिस्सा है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में भारत के किसी अन्य राज्य का रहने वाला जमीन या किसी तरह की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-360 जिसमें देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।
- राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर में आपातकाल सिर्फ दूसरे देशों से युद्ध की स्थिति में ही लगाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति राज्य में अशांति हिंसा की गतिविधियाँ होने पर आपातकाल स्वयं नहीं लगा सकते ये तभी संभव है जब राज्य की ओर से सिफारिश की जाये।
- अनुच्छेद-370 को हटाने का फैसला सिर्फ संसद के द्वारा किया जा सकता है।
-

